न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. भंवरसिंह पिता शम्भूसिंह जी चौहान, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भैरूसिंह पिता शम्भूसिंह जी चौहान, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. करणसिंह पिता शम्भूसिंह जी चौहान, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. लालसिंह पिता शम्भूसिंह जी चौहान, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. महेन्द्रसिंह पिता शम्भूसिंह जी चौहान, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. कालूसिंह पिता शम्भूसिंह जी चौहान, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. हमेरसिंह पिता शम्भूसिंह जी चौहान, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. इन्द्र कुंवर पत्नी शम्भूसिंह जी चौहान, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रेमसिंह पिता स्वर्गीय जवाहरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती प्रेम कुंवर पत्नी स्वर्गीय नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मोहनसिंह पिता स्वर्गीय नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती श्यामा कुंवर पुत्री स्वर्गीय नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती दाडम कुंवर पुत्री स्वर्गीय नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

6. निर्भयसिंह पिता स्वर्गीय नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

7. कैलाश कुंवर पुत्री स्वर्गीय नाहरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

8. भगवतसिंह पिता स्वर्गीय जवाहरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

9. सरस कुंवर धर्मपत्नी स्वर्गीय जवाहरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

10. कल्याणसिंह पिता पृथ्वीसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

11. जसवन्तसिंह पिता पृथ्वीसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

12. केसर कुंवर पत्नी दरियावसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

13. केसरसिंह पिता दरियावसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

14. विक्रमसिंह पिता दरियावसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

15. जालमसिंह पिता गजेसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

16. श्याम कुंवर पत्नी अर्जुनसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

17. लक्ष्मणसिंह पिता अर्जुनसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

18. नाथूसिंह पिता भोपालसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

19. श्रीमती रेशम कुंवर पत्नी स्वर्गीय अमरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, हाल 71, बी. रेल्वे कॉलोनी, ठोकर चौराहा, उदयपुर (राज.)

20. श्रीमती मन्जू कुंवर पुत्री स्वर्गीय अमरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, हाल 71, बी. रेल्वे कॉलोनी, ठोकर चौराहा, उदयपुर (राज.)

21. संजयसिंह पिता स्वर्गीय अमरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, हाल 71, बी. रेल्वे कॉलोनी, ठोकर चौराहा, उदयपुर (राज.)
22. श्रीमती बालू कुंवर पुत्री स्वर्गीय अमरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, हाल 71, बी. रेल्वे कॉलोनी, ठोकर चौराहा, उदयपुर (राज.)
23. श्रीमती रणजीत कुवंर पुत्री स्वर्गीय अमरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, हाल 71, बी. रेल्वे कॉलोनी, ठोकर चौराहा, उदयपुर (राज.)
24. दीपसिंह पिता गमेरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
25. भानसिंह पिता गमेरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
26. मूलसिंह पिता गमेरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
27. हरिसिंह पिता गमेरसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
28. श्रीमती पुष्पा कुंवर पत्नी महेन्द्रसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
29. कालूसिंह पिता कल्याणसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
30. केशरसिंह पिता दरियावसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
31. भैरूसिंह पिता शम्भूसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
32. श्रीमती प्रकाश कुंवर पत्नी कालूसिंह जी राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
33. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 01.07.2015, प्र. सं. 73/09

———:::———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1. श्री अतुल पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री प्रदीप पुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1

3. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 33

———:::———

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 27—06—2019</u>**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मौरूसी मिल्कियत व संयुक्त खातेदारी स्वामित्व की भूमि राजस्व ग्राम कल्लाखेड़ी खांरा में स्थित है, जिनका वर्णन वाद पत्र की कलम संख्या 1 में किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 16 राजस्व रेकार्ड में अंकित हिस्से से अधिक भूमि से घास काटते हैं एवं मना करने पर लड़ाई—झगड़ा करते हैं। अतः वादग्रस्त भूमियां का विभाजन किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 व 16 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा बहस सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 29—08—2007 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री पर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वादी सहमत नहीं होने से पुनः दिनांक 26—03—2008 को डिक्री जारी की गयी, जिसकी अपील भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में होने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 08—05—2012 को वादी का वाद व प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध पुनः भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक

04–04–2014 से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया, जिस पर पुनः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 11–03–2015 को वादी का वाद व प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 01–07–2015 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–02–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 16–01–2017 को पटवारी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मौके पर आये तो उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपील जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त आवेदन के खण्डन का कोई जवाब रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री प्रदीप पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 33 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि विभाजन के वाद में सभी प्रभावित पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है। विभाजनामा पटवारी द्वारा कब तैयार किया गया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 एवं पटवारी की मिलीभगत से उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है तथा अपीलान्टगण को उनके पिता की मृत्यु हो जाने पर कायम मुकाम नहीं

बनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय का राजस्व लोक अदालत में निर्णय किये जाने का कथन सरासर गलत है, क्योंकि वहां पर अपीलान्टगण के हस्ताक्षर करवाकर यह तय हुआ कि विभाजन मौके पर कब्जे अनुसार किया जाये, परन्तु वक्त विभाजन इस प्रकिय को नहीं अपनाया गया। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 1 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि फर्द बंटवारे के समय स्वयं अपीलान्ट उपस्थित थे तथा निर्णय भी उनकी उपस्थिति में पारित किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि स्वयं अपीलान्टगण के पिता शम्भूसिंह प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिनका सम्मन स्वयं अपीलान्ट संख्या 1 भंवरसिंह को प्राप्त हुआ था तथा फर्द बंटवारे एवं न्यायालय आदेशिका पर स्वयं अपीलान्ट संख्या 1 भंवरसिंह के हस्ताक्षर हैं। अतः अब अपीलान्टगण द्वारा इस प्रकार के जो उजर उठाये जा रहे हैं, वह उपलब्ध दस्तावेजों की रोशनी में प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रकट नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–07–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास .... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** ....

भंवरसिंह पिता शम्भूसिंह चौहान, नि. कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा जि. राजसमन्द व अन्य बनाम **प्रेमसिंह पिता जवाहरसिंह राजपूत, नि. कल्लाखेड़ी, खांरा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.......**11/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**.....
...........**नाथद्वारा**.......... मुकाम...............मुवर्खे...........**..01**...............माह.............**07**...........**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**27**....माह........**06**.......सन् **2019** रूबरू........**पक्षकारान**
व हाजरी......**श्री अतुल पालीवाल........**मिनजानिब अपीलान्ट व...........**श्री प्रदीप पुरोहित**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–07–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**27**......माह.......**06**...........**2019**
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।